राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 04 / 2024
अपील संख्या :—186 / 2022

हरि शंकर कटारा —अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिए, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बांसवाडा।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.05.2024
आदेश की दिनांक : 22.05.2024

<u>उपस्थित —</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री पी आर मेहता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी ने अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के संबंध में पुनर्विलोकन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.12.1978 से सेवा की गणना करते हुए 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिलाये जाने और इससे सम्बंधित समस्त पारिणामिक लाभ दिलवाये जाने की प्रार्थना की है। पुनर्विलोकन प्रार्थना—पत्र में अधिकरण के आदेश दिनांक 09.01.2024 का पुनर्विलोकन कर अपील को स्वीकार करने का अनुतोष चाहा है, प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 एवं धारा 114 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।
2. रिव्यू प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2024 द्वारा अपील को अस्वीकार किया गया है।।
3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रथम तदर्थ (ad-hoc) नियुक्ति से सेवा की गणना कर चयनित वेतनमान का लाभ एवं अन्य पारिणामिक परिलाभ अपने सेवाकाल में जुडवाने का अधिकारी नहीं है। अधिकरण द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का विवेचन कर आदेश दिनांक 09.01.2024 पारित किया है, जो न्यायोचित है। साथ ही, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा—मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 6(5) के तहत् अधिकरण को पुनर्विलोकन की सीमित शक्तियां प्राप्त है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना—पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

4. हमने उभयपक्ष को सुना एव ंपत्रावली पर उपलब्ध तमाम दस्तावेजात पर मनन कर अनुशीलन किया। राजस्थान सिविल सेवा (सेवा–मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 6(5) में पुनर्विलोकन के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

> *6(5) "The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference there to such order as it thinks just and proper. Provided that the Tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such partly at the time when such decision or order was made, or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record: Provided further that no application under this sub-section shall lie to the Tribunal after the expiry of thirty days from the date of the decision or order of which review is being sought: Provided also that an application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filling the application within such time."*

उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अधिकरण के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका उस स्थिति में ही दायर की जा सकती है, जब कोई नया तथ्य अपीलार्थी के ध्यान में आया हो, जो पहले उसके ध्यान में नहीं था या फिर पुनर्विलोकन तब किया जा सकता है, जब आदेश में कोई दस्तावेजी त्रुटि (error on the face of record) रही हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका में ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उसके ध्यान में पूर्व में नहीं हो। जारी आदेश में कोई दस्तावेजी त्रुटि (error on the face of record) भी प्रकट नहीं होती है। प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन में अपीलार्थी ने अधिकरण के पारित आदेश को परिवर्तन करने का अनुतोष चाहा है। राजस्थान सिविल सेवा (सेवा–मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 6(5) में यह अनुमत नहीं है। अतः पारित आदेश को पुनर्विलोकन किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य